

उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-13

संख्या- 22 /एफ-13-2013-गो-13
तखनक : दिनांक // जनवरी, 2018

कार्यालय-आए

[[नियम-3 का उपनियम (1)]

सामाजिक समाघात निर्धारण का प्रारम्भिक अधिसूचना

एसओआई000 अधिसूचना

राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्र के ग्राम/वाड स्तर के सम्बन्धित पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम जैसी भी स्थिति हो परामर्श कर निर्माणाधीन भूमि के अर्जन का प्रयोजन करेगी और लोक हित में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन को क्रियान्वित करेगी। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 में दिये गये प्रावधान के अन्तर्गत अक्षरान किया जायेगा।

- अपेक्षक निकाय का नाम- नगरिक उद्दयन विभाग, उत्तर प्रदेश।
- प्रस्तावित भूमि के अर्जन का उद्देश्य- ग्रीन फील्ड अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जेवर का निर्माण।
- संगठन जिसके द्वारा अध्ययन किया जायेगा- गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा (गौतम बुद्ध नगर)।
- संगठन का संपर्क विवरण- गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा (गौतम बुद्ध नगर) 201312
- भूमि का विवरण- ग्रीन फील्ड अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जेवर के निर्माण हेतु प्रथम चरण में प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण का विवरण-

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल (है० मे)
1	2	3	4
गौतमबुद्धनगर	जेवर	रोही	481.5330
		रन्देरा	100.5902
		पारोही	134.1965
		वनचारीबांस	6.6756
		दयानतपुर	389.6480
		किशोरपुर	150.5380
		मुकीमपुर शिवारा	58.7990
		रामनेर	6.0100
		कुल योग	1327.9903

- प्रस्तावित परियोजना से होने वाले लाभ तथा संक्षिप्त विवरण- एयरपोर्ट विकसित होने से औद्योगिक अवस्थापना का संरचनात्मक विकास होगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, विनिर्माण एवं निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा तथा हवाई यातायात सुगम होगा, साथ ही पर्यटन में वृद्धि होगी।
- परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्रफल- जनपद गौतम बुद्ध नगर की तहसील जेवर के उपरोक्तानुसार 08 ग्राम तथा लगभग 1500 हेक्टेयर भूमि

- > क्या ग्राम सभा और/अथवा मू-स्वागी की सहमति की आवश्यकता है? अधिनियम/नियम अनुसार।
- > सामाजिक समाघात निर्धारण की पूर्ण होने की तिथि-31 मार्च, 2018

टिप्पणी- कलेक्टर (अर्जन प्रयोजनार्थ) कार्यालय में सभी कार्य दिवसों में विस्तृत विवरण देखा जा सकता है।

उक्त एजेन्सी अपनी आख्या/रिपोर्ट 60 दिन में राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन को प्रस्तुत करेगी। इस एजेन्सी पर होने वाला व्यय राजस्व विभाग/निदेशक, भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा वहन किया जायेगा।

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या- 22 (1)/एक-13-2018, तददिनांक।

- उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
- (1) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन।
 - (2) समस्त विभागाध्यक्ष, उ०प्र०, लखनऊ।
 - (3) आयुक्त एवं निदेशक, भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
 - (4) महाप्रबन्धक (नियोजन) यमुना एक्सप्रेस-वे, औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
 - (5) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र०।
 - (6) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उपसा/यूपीडा/नोएडा/ग्रेटर नोएडा, एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण, उ०प्र०।
 - (7) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र०।
 - (8) निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री, राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
 - (9) गार्ड फाइल।

ओजा से
(आर०वी० सिंह)
संयुक्त सचिव।